


188



Ru 82- I 17

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत।

पक्षकार - श्री विष्णु सिंह मरावी उम्र 42 वर्ष पिता फत्तू सिंह मरावी (गौड आदिवासी) निवासी-म.नं. 67, देहरी कला, गंगई पोस्ट पडरिया तह. कुण्डम जिला जबलपुर


विरुद्ध -

1. श्री अरूण कुमार सोनी उम्र 66 वर्ष पिता श्री राम चरण सोनी (गैर आदिवासी) निवासी 14, नर्मदा रोड, कटंगा, अंचल विहार, केरला भवन के पास, कटंगा, गोरखपुर, जबलपुर
2. श्री अनुज कुमार सोनी उम्र 35 वर्ष पिता श्री अरूण कुमार सोनी (गैर आदिवासी) निवासी 14, नर्मदा रोड, कटंगा, अंचल विहार, केरला भवन के पास, कटंगा, गोरखपुर, जबलपुर
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1. मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 71/अ-21/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दि. 23/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री विष्णु सिंह मरावी उम्र 42 वर्ष पिता फत्तू सिंह मरावी (गौड आदिवासी) निवासी-म.नं. 67, देहरी कला, गंगई पोस्ट पडरिया तह. कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम पडरिया प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. इमलई तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशा: 391, 392, 393, 394 रकवा क्रमश: 1.04, 0.72, 0.600, 1.44 हेक्टेयर कुल रकवा 3.80 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री अरूण कुमार सोनी उम्र 66 वर्ष पिता श्री राम चरण सोनी (गैर आदिवासी) निवासी 14, नर्मदा रोड, कटंगा, अंचल विहार, केरला भवन के पास, कटंगा, गोरखपुर, जबलपुर 2. श्री अनुज कुमार सोनी उम्र 35



दिनांक 3-2-17 को
- कं. के दिवदी
No 4771 अनावेदक
मुल
3-2-17

03/02/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 482-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 71/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक की गाम पड़रिया प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 391, 392, 393 एवं 394 रकबा क्रमशः 1.040, 0.720, 0.600 एवं 1.440 हेक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 19-12-16 को पंजीबद्ध कर दिनांक 20-2-17 को ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया। इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक 23-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है। आवेदित भूमि</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नामांक 482-1/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम देहरीकला प.ह.नं. 12 देहरीखुर्द रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में 2.40 हेक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पड़रिया प.ह.नं. 17 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमियां खसरा नं. 391, 392, 393 एवं 394 रकबा क्रमशः 1.040, 0.720, 0.600 एवं 1.440 हेक्टर को अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2/गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <p>1- प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।</p>	

8/14


(Handwritten signature)

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 482-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
R 19	<p>2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा</p> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: center;"> (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p>	